# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां, थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं 88/22 दिनांक 18/11/2022
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम..... भा0द0स0.....धाराऐं .... 120बी आई0पी0सी0.....
   (3) अधिनियम.....धाराऐं.....
   (4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराऐं .....
3. (क) घटना का दिन :– 17.11.2021
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 17.11.2021 समय :– 02.00 पी.एम
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....563..... समय.....2.00 P.M.....
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – **दक्षिण दिशा की और 05 किलोमीटर**
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पता:– **बाल कल्याण समिति बारां**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– **श्री सोनू कुमार औझा**
(ख) पिता/पति का नाम :– **श्री चिरोंजीलाल औझा**
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **28 साल**
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – **बैल्डिंग की दूकान**
(छ) पता :– **गदरेटा थाना कैलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

**1 श्रीमति मीनाक्षी जैन पत्नि श्री सचीन जैन जाति जैन उम्र 42 साल निवासी सचिन किराणा स्टोर सदर बाजार बारां हाल सदस्य बाल कल्याण समिति बारां**
**2 श्री चैतन योगी पुत्र जौधराज जाति योगी उम्र 23 साल निवासी बजाज शोरूम के पीछे, आदर्श नगर कोटा रोड बारां हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर बाल कल्याण समिति बारां**

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो ).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

**महोदय,**

हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 17.11.2021 समय 02.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री सोनू कुमार ओझा पुत्र श्री चिरोंजीलाल ओझा जाति ओझा उम 28 साल निवासी ग्राम गदरेटा थाना केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां ने अपने साथी श्री जालम सिंह पुत्र श्री छीता जाति ओझा उम्र 28 साल निवासी बोयल थाना कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां के साथ एसीबी चौकी बारां पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद को पेश किया। परिवादी श्री सोनू कुमार ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा होना बताया तथा अपने साथ आये श्री जालम सिंह को अपनी दुकान पर ही काम करने वाला व विश्वसनीय होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का सही होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं मजमून दरयाप्त पर परिवादी श्री सोनू कुमार ने बताया कि " मेरा नाम सोनू कुमार ओझा पुत्र श्री चिरोंजीलाल ओझा जाति ओझा उम्र 28 साल निवासी ग्राम गदरेटा थाना केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां है। मेरी मेरे गांव गदरेटा में रामा बेल्डिंग वर्क्स नाम से बेल्डिंग की दूकान है। मेरी दुकान पर करीब तीन–चार महिने से छोटू धाकड पुत्र श्री छीतु धाकड निवासी ग्राम हरिपुर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश उसके पिताजी की सहमति से कार्य कर रहा है। दिनांक 16.11.2021 को मेरी दुकान पर एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी जिस पर पुलिस लिखा हुआ था, में एक मैडम चार पांच जनो के साथ आई स्वयं को पुलिसकर्मी होना बताया। मेरी दुकान पर काम कर रहे छोटू को देखकर मुझसे कहा कि आप बाल श्रम करवाते हो, तो मैने मेडम से कहा कि मैडम यह तो इसके पिताजी की सहमति से काम सिखने के लिये आ रहा है। मैडम ने मेरी बात नही मानते हुये छोटू को अपनी गाडी में बैठा लिया और मुझसे

अनिष

कहा कि कल इसके व आपके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लेकर कार्यालय बाल कल्याण समिति बारां आ जाना। मुझे लिखित में मैडम ने कोई दस्तावेज नही दिया। दिनांक 17.11.2021 को मै कागज लेकर कार्यालय बाल कल्याण समिति बारां गया तो वहां मुझे मीनाक्षी जैन मैडम, सदस्य बाल कल्याण समिति बारां मिली। जिनको मैने, अपने व छोटू धाकड के आधार कार्ड व अन्य आईडी दी तो उन्होने मुझसे कहा कि चार हजार रूपये दे दो आपके लडके छोटू को बिना कार्यवाही ही छोड देंगे। मै मेरे जायज काम के बदले मीनाक्षी जैन मैडम सदस्य बाल कल्याण समिति बारां को रिश्वत के चार हजार रूपये नही देना चाहता हूँ। मैडम को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी मीनाक्षी जैन मैडम से कोई पुरानी रंजीश नही है और ना ही उधार का कोई लेन देन बाकी है। कार्यवाही करने की कृपा करे।" परिवादी श्री सोनू कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की परिधि मे आना पाया जाता है। इसलिऐ रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत मांग का सत्यापन के सम्बन्ध में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मै आज बाल कल्याण समिति बारां मेरी दुकान पर काम करने वाले छोटू को लेने जाउंगा तो मीनाक्षी जैन मैडम मुझसे आज ही रिश्वत के सम्बन्ध में बात करेगी। समय 02.40 पी0 एम0 पर_परिवादी श्री सोनू कुमार का परिचय श्री बबलेश कानि0 261 से करवाया गया। इसके बाद कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि एवं वार्ता रिकार्ड करने का तरीका भली भांति समझाकर सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपिया के पास जाकर अपने कार्य व रिश्वत के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता करे तथा बाद सत्यापन डिजीटल वाईस रिकार्डर लाकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश करे। श्री बबलेश कानि0 261 का परिचय परिवादी से करवाकर यथासंभव परिवादी के नजदीक रहकर वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करने के निर्देश देकर परिवादी व उसके साथी श्री जालम सिंह को स्वयं की मोटर साईकिल से व श्री बबलेश कानि0 261 को सरकारी मोटर साईकिल से कार्यालय बाल कल्याण समिति झालावाड रोड बारां के लिये रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। समय 06.20 पी0एम0 पर परिवादी श्री सोनू कुमार व परिवादी का साथी श्री जालम सिंह तथा श्री बबलेश कानि0 261 रवानाशुदा वापस कार्यालय आये। परिवादी ने अपने पास से पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै, मेरा साथी जालम सिंह और आपके कार्यालय से साथ गये श्री बबलेश जी. कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर झालावाड रोड जेल के सामने बारां स्थित बाल कल्याण समिति कार्यालय से कुछ दूरी पहले रूके। मै डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर जालम सिंह के साथ बाल कल्याण समिति कार्यालय बारां के अन्दर चला गया। मेरा साथी जालम सिंह कार्यालय के ग्राउण्ड में ही रूक गया था। मै कार्यालय के अन्दर गया जहां मुझे मीनाक्षी जैन मैडम व अन्य कर्मचारी मिले। वहां पर अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे जिनकी दुकान/ढाबे पर काम करने वाले लडको को कल दिनांक 16.11.2021 को पकडकर लाये थे। वहां पर मेरी दुकान से लाये छोटू धाकड को छुडाने के कागजात वहां के स्टाफ ने तैयार किये। अन्य व्यक्तियो के कागजात भी वहां के कर्मचारियों ने ही तैयार किये थे। कागजात तैयार होने के बाद मीनाक्षी जैन मैडम ने मुझे व मेरे साथ उपस्थित अन्य दो व्यक्ति गौरव निवासी समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारां व राजू बना निवासी समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारां(ढाबा वाले) से बच्चो को छोडने के लिये चार–चार हजार रूपये रिश्वत के देने की कहां। हमारे निवेदन करने पर मीनाक्षी मैडम 2500–2500 रूपये लेने को सहमत हुई तथा हम तीनो के रूपये इकट्टा कर बाल कल्याण समिति कार्यालय में कम्प्यूटर का काम करने वाले चैतन को देने की कहा। जिस पर मैने, गौरव व राजू बना ने पचीस–पचीस सौ रूपये इकट्टे किये तथा सात हजार पांच सौ रूपये मीनाक्षी जैन के कहे अनुसार मैने चेतन को दिये। इसके बाद उन्होने मेरी दुकान पर काम करने वाले छोटू व गोरव व राजू बना के यहां काम करने वाले बच्चो को छोड दिया। इसके बाद मै छोटू धाकड व जालम सिंह को लेकर आपके कार्यालय से मेरे साथ गये श्री बबलेश जी कानि0 के पास आ गया और मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर दिया। इस दौरान हमारे बीच जो भी वार्ता हुई वो इस डिजिटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गयी है। श्री बबलेश कानि0 261 ने पूछताछ पर बताया कि मैं बाल कल्याण समिति कार्यालय बारां के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ खडा हो गया था। परिवादी व उसका साथी मेरे पास से रवाना होकर बाल कल्याण समिति कार्यालय बारां के अन्दर चला गया था। काफी समय बाद परिवादी एक लडके के साथ मेरे पास आया और परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द किया। परिवादी ने उसके साथ आये लडके का नाम छोटू धाकड बताया था। इसके बाद हम रवाना होकर कार्यालय में आ गये। मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद होना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री सोनू कुमार ने बताया कि मीनाक्षी जैन मैडम द्वारा मेरे से बालक को छुडाने की एवज में तीन जनो से दो हजार पांच सौ रूपये प्रति बालक के हिसाब से तीन जनो के सात हजार पांच सौ रूपये प्राप्त कर लिये है। अब और कोई रिश्वत लेने की संभावना नही है। फिर भी यदि आगामी पेशी पर मीनाक्षी मैडम द्वारा और कोई रिश्वत की मांग की जाती है तो मै आपको सूचित कर दूंगा। दिनांक 18.11.2021 को पकडे गये बालक छोटू के भाई शिशुपाल का आधार कार्ड लेकर बुलाया है। जो इसका भाई कल लेकर आयेगा। परिवादी को

अनिष

पाबंद किया गया कि कोई भी रिश्वत की मांग होने पर तुरन्त मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करे। परिवादी व उसके साथी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 03.01.2022 समय 02.30 पी0एम0 पर परिवादी सोनू ओझा उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मेरे पास बाल कल्याण समिति बारां से मीनाक्षी मेडम या अन्य किसी का फोन नही आया है और ना ही पुलिस ने मेरे खिलाफ कोई बाल श्रम का अभियोग दर्ज किया है। यदि मेरे से कोई और रिश्वत की मांग करेगा या करेगी तो मै आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी ने बताया कि जो लडका मेरी दुकान पर काम करता था जिसको पुलिस पकडकर लायी थी उसका सही नाम राजेन्द्र है लेकिन प्यार से सब लोग उसे छोटू कहते थे इसलिये मैने पहले दिये गये प्रार्थना पत्र में उसका नाम छोटू लिखवा दिया था। इस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी द्वारा रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने हेतु हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 09.02.2022 समय 10.00 ए0एम0 पर परिवादी सोनू ओझा उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि बाल कल्याण समिति बारां द्वारा मेरे खिलाफ बाल श्रम का प्रकरण दर्ज नही करवाया गया है और ना ही मुझसे मीनाक्षी मेडम बाल कल्याण समिति बारां द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। मेरी दुकान पर काम करने वाले बालक राजेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र छीतु की एफडी के सम्बन्ध में भी बाल कल्याण समिति बारां से किसी ने मुझसे सम्पर्क नही किया है। यदि मेरे से कोई और रिश्वत की मांग करेगा या करेगी तो मै आपको सूचित कर दूंगा। इस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी द्वारा रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने हेतु हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 02.03.2022 समय 11.40 ए0एम0 पर परिवादी सोनू ओझा ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जर्ये मोबाईल अवगत कराया कि बाल कल्याण समिति बारां से अब तक मेरे पास ना तो कोई एफडी के कागज आये है और ना ही मीनाक्षी मेडम बाल कल्याण समिति ने मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क किया है। इससे लगता है कि अब मीनाक्षी जैन मेडम द्वारा मुझसे रिश्वत लेने की कोई संभावना नही है। इस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.04.2022 समय 11.30 एएम0 पर परिवादी श्री सोनू कुमार ओझा ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद को इस आशय का प्रस्तुत किया कि " दिनांक 16.11.2021 को मेरी बेल्डिंग की दुकान से पुलिस ने मेरे यहां पर काम करने वाले बालक छोटू उर्फ राजेन्द्र उम्र 16 साल निवासी हरिपुर थाना तेंदुआ मध्यप्रदेश को पकड कर बारां लाई थी जो कि बालक छोटू उर्फ राजेन्द्र को पुलिस ने बाल कल्याण समिति बारां में बन्द करा दिया था। जिसको छोडने की एवज में बाल कल्याण समिति बारां की मेडम मीनाक्षी जैन ने मुझसे चार हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मैने मीनाक्षी मैडम को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 को दी थी। उसी दिन मुझे रिश्वत के सम्बन्ध में मीनाक्षी मैडम से बात करने डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर भेजा था। बात की तब वहां गौरव व राजू बना नाम के व्यक्ति भी थे। मीनाक्षी मेडम ने मेरे यहां व गौरव व राजू बना के यहां काम करने वाले लडको को छोडने की एवज में चार–चार हजार रूपये की मांग की । हमारे निवेदन करने पर दो हजार पांच सौ रूपये प्रत्येक व्यक्ति से लेने पर सहमत होने पर हम तीनो ने सात हजार पांच सौ रूपये मैडम के कहे अनुसार चेतन को दे दिये थे। गौरव अग्रवाल के ढाबे पर बालक मंगल व राजू बना के ढाबे पर बालक सूरज सिंह को पकडा था। इस प्रकार तीनो बच्चो को छोडने के लिये पच्चीस सौ रूपये प्रत्येक के हिसाब से सात हजार पांच सौ रूपये हम से लिये थे और बच्चो को छोड दिया था। मुझे मीनाक्षी मेडम पर शक था कि वह मुझसे बाद में भी रिश्वत की मांग करेंगी किन्तु मीनाक्षी मैडम ने उसके बाद आज दिन तक रिश्वत के सम्बन्ध में बात नही की है। मुझे लगता है कि मीनाक्षी जैन मैडम को मुझ पर शंका हो गई है। इसलिए अब वह मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में बात नही करेगी ना ही रिश्वत लेगी। रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही हेतु पेश है।" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं परिवादी के बताये अनुसार अब ट्रैप कार्यवाही होना सम्भव प्रतीत नही होता है। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.50 ए0एम0 पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से आयुक्त नगर परिषद बारां के नाम एक तहरीर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु रवाना किया गया। समय 12.30 पी0एम0 रवानाशुदा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 मय स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार सेन, कनिष्ठ लिपिक व श्री सत्यनारायण पांचाल, मिस्त्री नगर परिषद बारां के उपस्थित कार्यालय आया। जिनका कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सोनू कुमार ओझा से परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 17.11.2021 एंव आज दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाये गये। दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्रो को पढकर प्रार्थना पत्रो पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दोनो गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति दी। समय 01.00 पी0एम0 पर कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया गया। परिवादी सोनू कुमार ओझा व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री सोनू कुमार ओझा व आरोपिया मीनाक्षी जैन सदस्य बाल कल्याण समिति बारां व अन्य के मध्य दिनांक 17.11.2021 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिनेश कानि0 360 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार श्री दिनेश कानि0 360 से हुबहु

अनिष

तैयार करवायी गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की, एक आवाज मीनाक्षी जैन सदस्य बाल कल्याण समिति बारां की होना व एक आवाज बाल कल्याण समिति बारां के कर्मचारी चेतन की होना व अन्य आवाजे वहां उपस्थित लोगो की होना बताया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढाकर हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.30 पी0एम0 पर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.11.2021 जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड थी को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया गया। दोनो गवाहो एवं परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से पांच डी0वी0डी0 श्री दिनेश कानि0 360 से नियमानुसार डब करवायी गई। जिनमें से एक डी0वी0डी0 माननीय न्यायालय के लिए, दो डी0वी0डी0 पृथक–पृथक आरोपीगण के लिए एवं एक डी0वी0डी0 आवाज नमूना की कार्यवाही के लिऐ कपडे की थेली में रखकर सील मोहर किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। एक डी0वी0डी0 बिना सील के अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखी गयी। कार्यवाही की फर्द डी0वी0डी0 डबिंग वार्ता व जप्ती डी0वी0डी0 नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पांचो डीवीडीयां मालखाने में सुरक्षित रखवायी गयी। समय 06.30 पी0एम0 पर बाद कार्यवाही परिवादी श्री सोनू कुमार ओझा व स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार कनिष्ठ लिपिक व श्री सत्यनारायण पांचाल मिस्त्री को सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी_श्री सोनू कुमार ओझा पुत्र श्री चिरोंजीलाल ओझा जाति ओझा उम 28 साल निवासी ग्राम गदरेटा थाना केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां ने अपने साथी श्री जालम सिंह पुत्र श्री छीता जाति ओझा उम्र 28 साल निवासी बोयल थाना कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां ने दिनांक 17.11.2021 को एसीबी चौकी बारां पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पेश किया कि " मेरी मेरे गांव गदरेटा में रामा बेल्डिंग वर्क्स नाम से बेल्डिंग की दूकान है। मेरी दुकान पर करीब तीन–चार महिने से छोटू धाकड पुत्र श्री छीतु धाकड निवासी ग्राम हरिपुर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश उसके पिताजी की सहमति से कार्य कर रहा है। दिनांक 16.11.2021 को मेरी दुकान से पुलिस छोटु उर्फ राजेन्द्र को पकडकर बारां ले आई थी और बाल कल्याण समिति बारां में बंद करवा दिया था। दिनांक 17.11.2021 को मै छोटु को छुडवाने बाल कल्याण समिति बारां में गया तो वहां मुझे मीनाक्षी जैन मैडम सदस्य बाल कल्याण समिति बारां मिली। जिनको मैने अपने व छोटू धाकड के आधार कार्ड व अन्य आईडी दी तो उन्होने मुझसे कहा कि चार हजार रूपये दे दो आपके लडके छोटू को बिना कार्यवाही ही छोड देंगे। मै मेरे जायज काम के बदले मीनाक्षी जैन मैडम सदस्य बाल कल्याण समिति बारां को रिश्वत के चार हजार रूपये नही देना चाहता हूँ। इत्यादी रिपोर्ट का उसी दिन गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान बाल कल्याण समिति में गौरव अग्रवाल व राजु बना नाम के व्यक्ति भी थे जिनके यहां काम करने वाले बालक मंगल व सुरज सिंह एवं परिवादी के यहां काम करने वाले बालक छोटु उर्फ राजेन्द्र को बिना कार्यवाही किये छोडने की एवज में मिनाक्षी जैन सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा चार–चार हजार रूपये प्रत्येक से मांग की परिवादी व गोरव, राजु के निवेदन पर मिनाक्षी जैन प्रत्येक व्यक्ति से ढाई–ढाई हजार रूपये लेने हेतुं सहमत होकर बाल कल्याण समिति के कर्मचारी चेतन को ढाई–ढाई हजार रूपये तीनो के कुल सात हजार पांच सौ रूपये देने पर ही बालको छोडने हेतु कहा जिस पर परिवादी व उक्त दोनो व्यक्तियों ने मिनाक्षी जैने के कहे अनुसार कुल सात हजार पांच सौ रूपये बाल कल्याण समिति के कर्मचारी चेतन को देकर बच्चो को छुडवाया जो ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से प्रमाणित है।

परिवादी श्री सोनु कुमार ओझा से सत्यापन के दोरान ही मिनाक्षी जैन सदस्य बाल कल्याण समिति बारां द्वारा रिश्वत राशि की मांग कर चेतन कर्मचारी बाल कल्याण समिति बारां के मार्फत प्राप्त कर परिवादी की दुकान पर कार्यरत बालक छोटु को छोडा गया। परिवादी को मिनाक्षी जैन पर संदेह था की वह उससे बाद में भी रिश्वत की मांग करेगी परंतु मिनाक्षी जैन सदस्य बाल कल्याण समिति बारां को परिवादी सोनु कमार पर शक हो जाने से परिवादी से सत्यापन के बाद से अब तक किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नहीं की ना ही रिश्वत से संबंधित कोई बात की इसलिये ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी।

आरोपी के पास परिवादी का कोई कार्य शेष नहीं होने से भविष्य में ट्रेप कार्यवाही की संभावना प्रतित नहीं होती है। इस प्रकार आरोपीगण श्रीमति मिनाक्षी जैन, सदस्य बाल कल्याण समिति व श्री चेतन योगी, कर्मचारी बाल कल्याण समिति बारां का कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

अनिष

(अनिष अहमद)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बारां

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में 1. श्रीमती मीनाक्षी जैन पत्नी श्री सचिन जैन, निवासी सचिन किराणा स्टोर, सदर बाजार, बारां हाल सदस्य बाल कल्याण समिति, बारां एवं 2. श्री चेतन योगी पुत्र जोधराज, निवासी बजाज शोरूम के पीछे, आदर्श नगर, कोटा रोड़ बारां हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, बाल कल्याण समिति बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 188/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1657-62 दिनांक 18.05.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।
3. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, बारां।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

18.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।